



श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

बी-४, कुटुम्ब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-११००१६

दिनांक १९.०६.२०२३ को पूर्वाह्न ११.०० बजे आयोजित विद्यापरिषद् की मात्रावी बैठक का कार्यसूची

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), नई दिल्ली की विद्या परिषद् की सावधां बैठक दिनांक 19.06.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे कुलपति महोदय की अध्यक्षता में द्विप्रकारक (ऑफलाइन/ऑनलाइन) उपस्थिति के माध्यम से वाचस्पति सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. प्रो. मुरलीमनोहर पाठक	अध्यक्ष
2. प्रो. मृदुला प्रिपाठी	बाह्य सदस्य (ऑनलाइन)
3. प्रो. वनारसी त्रिपाठी	बाह्य सदस्य
4. प्रो. मनोज कुमार मिश्र	बाह्य सदस्य
5. प्रो. रघुवा कुमार पाण्डेय	सदस्य
6. प्रो. शीघ्रूष काल्पन दीक्षित	सदस्य
7. प्रो. जयकान्त मिश्र शर्मा	सदस्य
8. प्रो. ए.एस. अरावमुदन	सदस्य
9. प्रो. मीनू कश्यप	सदस्य
10. प्रो. शीतला प्रसाद शुक्ल	सदस्य
11. प्रो. महेश प्रसाद सिलोड़ी	सदस्य
12. प्रो. सुदीप कुमार जैन	सदस्य
13. प्रो. देवी प्रसाद त्रिपाठी	सदस्य
14. प्रो. मारकण्डेनाथ तिवारी	सदस्य
15. प्रो. रामानुज उपाध्याय	सदस्य
16. प्रो. नीतम ठगेला	सदस्य
17. प्रो. यशवीर सिंह	सदस्य
18. प्रो. के. अनन्ता	सदस्य
19. प्रो. शिवशंकर मिश्र	सदस्य
20. प्रो. महानन्द ज्ञा	सदस्य
21. प्रो. कुलदीप कुमार	सदस्य

सत्यापित
VERIFIED

कुलसंचालक / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय तत्सूक्ष्म विश्वविद्यालय
बी-४, कुटुम्ब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-११००१६
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110

22. प्रो. वृद्धाचन दाश	सदस्य	(ऑनलाइन)
23. प्रो. राम सलाही टिथेडी	सदस्य	
24. डॉ. एस. सुदर्शन	सदस्य	(ऑनलाइन)
25. डॉ. आरेश कुमार	सदस्य	
26. प्रो. भागीरथ नर्द	सदस्य	
27. प्रो. जगदेव कुमार शर्मा	सदस्य	
28. डॉ. मनोज कुमार घोणा	सदस्य	
29. डॉ. फणीन्द्र चौधरी	सदस्य	
30. प्रो. प्रेम कुमार शर्मा	कुलसचिव (प्रभारी) एवं सचिव	

प्रो. रमेश प्रसाद पाठक, प्रो. वीर सागर जैन, प्रो. सदन सिंह, प्रो. धर्मनन्द राउत एवं प्रो. प्रधाकर प्रसाद किन्होंने कारणवश विद्यापरिषद् की बैठक में सम्पत्ति नहीं हो जाके।

प्रो. शीतला प्रसाद शुक्ल, पीठ प्रमुख (साहित्य एवं संस्कृति) के मंगलाचरण उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

प्रो. मुरलीमनोहर पाठक, अध्यक्ष, विद्या परिषद् द्वारा विद्या परिषद् में उपस्थित बाह्य सदस्यों एवं अन्य सभी सदस्यों का अधिनन्दन किया गया तथा सभी सदस्यों को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों में अधिक से अधिक सुझाव एवं मार्गनिर्देशन प्रदान करने का अनुरोध किया गया जिससे विश्वविद्यालय को उन्नति के मार्ग पर आढ़ा किया जा सके। विश्वविद्यालय की समस्त शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशानुसार सुचारू रूप से पूर्ण किया जा रहा है तथा शैक्षणिक सत्र 2022-23 में छात्रों के प्रवेश हेतु समयबद्ध तरीके से किये गये कार्यों तथा समस्त पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों की सत्रीय परीक्षाएँ सम्पन्न कराने के लिए विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक वर्ग एवं गैर-शैक्षणिक वर्ग के सदस्यों ने भूमिका संराहनोय है। कुलपति महोदय की स्वीकृति के उपरान्त कुलसचिव (प्रभारी) द्वारा विद्या परिषद् की सातवीं बैठक के लिए तैयार कार्यसूची को क्रमानुसार प्रस्तुत किया गया।

संक्षेप संख्या ७.१: विद्या परिषद् की दिनांक २९.०८.२०२२ को सम्पन्न षष्ठ बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

विद्या परिषद् द्वारा दिनांक 29 अगस्त 2022 को सम्पन्न हुई षष्ठ बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की की गयी।

सत्यापित
VERIFIED

(Signature)

संकल्प संख्या ७.२: विद्या परिषद् की दिनांक २९.०८.२०२२ को सम्पन्न हुई पट्ट बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही के प्रतिवेदन की पुष्टि।

दिनांक २९.८.2022 को सम्पन्न हुई पट्ट बैठक में लिये गये निर्णयों पर क्लियान्वयन के विषय पर प्रस्तुत कृत कार्यवाही को विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गई। विद्या परिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि क्लिय विषयों पर कृत कार्यवाही किन्तु कारणवश अभी तक अपेक्षित है, सम्बन्धित विभाग, समिति उन विषयों पर यथाशङ्ख अवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें।

संकल्प संख्या ७.३: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes के अनुपालन में पाद्यक्रम प्रारूप तैयार करने हेतु गठित समिति की दिनांक १८.०९.२०२३ को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयों का कार्यवृत्त विद्यापरिषद् की पुष्टि हेतु सादर प्रस्तुत।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रत्त प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes को विश्वविद्यालय में लागू करने हेतु पाद्यक्रम प्रारूप समिति द्वारा तैयार शास्त्री/बी.ए. योग, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय/चतुर्थ वर्ष के छात्रों हेतु निर्धारित नवीन पाद्यक्रम प्रारूप को विश्वविद्यालय में लागू करने की विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गयी। पाद्यक्रम समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार सम्बन्धित विभागों द्वारा तैयार संशोधित पाद्यक्रमों को संज्ञान में लेते हुए विद्या परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि नवीन पाद्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2023-24 में शास्त्री एवं बी.ए. योग पाद्यक्रमों में पंजीकृत स्नेन वाले छात्रों पर लागू होगा। सम्बन्धित विभागों द्वारा तैयार पाद्यक्रम विभाग के अध्ययन मण्डल के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कार्य की महत्त एवं समयबद्धता को संज्ञान में लेते हुए विद्या परिषद् द्वारा कुलपति महोदय को अधिकृत करते हुए यह निर्णय लिया गया कि जिन विभागों द्वारा अध्ययन मण्डल की बैठक अभी तक सम्पन्न नहीं की गयी है, वे; १५ जुलाई, 2023 तक अनिवार्य रूप से अपने-अपने विभाग के अध्ययन मण्डल की बैठक आयोजित कर कर कृत कार्यवाही को रिपोर्ट कुलपति महोदय की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें। अध्ययन मण्डल द्वारा लिये गये निर्णयों के कार्यवृत्त विद्यापरिषद् को आगामी बैठक में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

संकल्प संख्या ७.४: शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ में अस्थायी रूप से पंजीकृत शोध छात्रों के स्थायी पंजीकरण हेतु दिनांक ०२, ०३ एवं ०४ जनवरी २०२३ को आयोजित शोध मण्डल की बैठक का कार्यवृत्त विद्या परिषद् की पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

शैक्षणिक सत्र 2021-22 में विद्यावारिधि पाद्यक्रम में पंजीकरण हेतु शोध मण्डल की बैठक दिनांक २, ३ एवं ४ जनवरी, 2023 को आयोजित की गई थी। शोध मण्डल के समक्ष सम्बन्धित विभागों में पंजीकृत ४८ शोध छात्रों द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया। शोध मण्डल द्वारा विद्यावारिधि उपाधि हेतु प्रदत नियमों के अनुप्रलन में शोधाधिकारियों के स्थानी पंजीकरण की अनुशंसा की गयी। विद्या परिषद् द्वारा शोध मण्डल की बैठक परिचय संस्कृतियों वे कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

सत्यापितारित
VERIFIED

कुलसंचय / Registrar
श्री लल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
बी-४, कुतुब साम्यानिक ब्लॉक, नई दिल्ली-110003
८-४, Qutub Institutional Area

संकल्प संख्या ७.५: शैक्षणिक सत्र २०२३-२४ में नियमित एवं अंशकालीन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु गठित समिति द्वारा तैयार शैक्षणिक नियम-परिचायिका विद्या परिषद् की पुष्टि हेतु सादर प्रस्तुत।

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में नियमित एवं अंशकालीन पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शैक्षणिक-नियम-परिचायिका तैयार करने हेतु गठित समिति द्वारा तैयार शैक्षणिक नियम-परिचायिका 2023-24 के विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गयी।

संकल्प संख्या ७.६: केन्द्रीय शोध समीक्षा समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों का कार्यवृत्त विद्या परिषद् की पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

विद्या परिषद् द्वारा केन्द्रीय शोध समीक्षा समिति की बैठकों में लिये गये निर्णयों की उपेक्षा की गयी। विद्या परिषद् द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि सभी पीठ प्रपुण एवं विभागाध्यक्ष / मार्गनिर्देशक अपने-अपने विभाग में पंजीकृत शोध छात्रों को यू.जी.सी. द्वारा जारी विनियमों के संबंध में समय-समय पर जानकारी प्रदान करें ताकि शोध छात्र अपना शोध कार्य निर्धारित नियमों के अनुसार पूर्ण करें।

संकल्प संख्या ७.७: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक क्लेण्डर २०२३-२४ तैयार करने हेतु गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त विद्यापरिषद् की पुष्टि हेतु सादर प्रस्तुत।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक क्लेण्डर 2023-24 तैयार करने हेतु गठित समिति की बैठक के कार्यवृत्त को विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गयी। विद्या परिषद् के सदस्यों को यह भी अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुगाम में विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णयानुसार शैक्षणिक सत्र 2023-24 में समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु लिखित प्रवेश परीक्षा का आयोजन गार्डीय परीक्षा एजेंसी (सी.यू.ई.टी.) द्वारा किया जा रहा है।

संकल्प संख्या ७.८: छात्रावास परिचय एवं नियमावली विद्यापरिषद् की पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

विश्वविद्यालय परिसर में स्थित छात्रावास के छात्रों को आवंटित करने हेतु गठित समिति द्वारा छात्रावास परिचय एवं नियमावली को शैक्षणिक ज्ञात्र 2022-23 एवं 2023-24 हेतु तैयार नियमावली को विश्वविद्यालय में लागू करने हेतु लिये गये नियमों के कार्यवृत्त की विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गयी।

संकल्प संख्या ७.९: शैक्षणिक सत्र २०२३-२४ में नियमित एवं अंशकालीन पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट छात्रों की सूची विद्या परिषद् के सूचनार्थ प्रस्तुत।

शैक्षणिक सत्र 2022-23 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑनलाइन माध्यम से किया गया था। छात्रों से सम्बन्धित प्रस्तुत की गयी सूची में पाठ्यक्रमों के अनुसार दर्शाये गये छात्रों का प्रवेश विद्यापरिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।

सत्यापिता
VERIFIED

○ संकल्प संख्या ७.१०: योग विभाग के अन्तर्गत बी.ए. योग एवं एम.ए. योग छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करने हेतु दिनांक १३.९.२०२२ को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों का कार्यवृत्ति विद्यापरिषद् की स्वीकृति हेतु सादर प्रस्तुत।

विश्वविद्यालय नियमानुसार विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे छात्रों को छात्रवृत्ति देने का उपुख उद्देश्य प्राच्यपरिषद् में संस्कृत शिक्षा प्रहण करने हेतु छात्रों को प्रत्यक्षित करता है। बी.ए. योग एवं एम.ए. योग प्राच्यक्रम में भौतिक छात्रों को छात्रवृत्ति भुगतान करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु गठित समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विद्या परिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि बी.ए. योग एवं एम.ए. योग में प्रविष्ट छात्रों को छात्रवृत्ति के भुगतान का विध्य विज्ञ नियमित एवं कार्य परिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जाए तथा उनकी स्वीकृति के उपरान्त विश्वविद्यालय बजट में प्रावधान होने तथा धनराशि की उपलब्धता के अनुसार ही भुगतान किया जाएगा।

संकल्प संख्या ७.११: शैक्षणिक तथा अन्य विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु गठित पीठ प्रमुखों एवं अधिकारियों की समय-समय पर आयोजित बैठकों का कार्यवृत्ति विद्या परिषद् की पुष्टि हेतु सादर प्रस्तुत।

विश्वविद्यालय की शैक्षणिक तथा अन्य गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक १९.९.२०२२, १४.१०.२०२२, १६.१.२०२३ एवं २७.४.२०२३ को पीठ प्रमुखों एवं अन्य अधिकारियों की बैठकें आयोजित की गयी।

प्रत्येक विषय पर गहन विचार-विमर्श के उपरान्त शैक्षणिक तथा अन्य गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर नीठ प्रमुखों एवं अन्य अधिकारियों की बैठकों में लिये गये निर्णयों को विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गयी। दिनांक २७.४.२०२३ को आयोजित बैठक में संकल्प संख्या ७ के संदर्भ में विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मान से यह निर्णय लिया गया कि हिन्दू अध्ययन विभाग को यथावत् आधुनिक विषय पाठ के अन्तर्गत ही रखा जाये।

विद्या परिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि विभिन्न बैठकों में संस्तुत एवं अवशिष्ट शैक्षणिक विषयों से सम्बन्धित नीतिगत सुझावों का निर्धारित नियमानुसार क्रियान्वयन किया जाए।

संकल्प संख्या ७.१२: विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अंशकालीन पाद्यक्रमों पौरोहित्य (कर्म-काण्ड) एवं ज्योतिष-पाद्यक्रम में प्रवेश हेतु निर्धारित स्थानों में बढ़ोतरी हेतु लिये गये निर्णय विद्या परिषद् की पुष्टि हेतु सादर प्रस्तुत।

सम्बन्धित पाद्यक्रमों में प्रवेश हेतु छात्रों की रुचि एवं विश्वविद्यालय में छात्र संख्या की वृद्धि के संज्ञान में लेते हुए विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अंशकालीन पाद्यक्रमों पौरोहित्य (कर्म-काण्ड) एवं ज्योतिष-पाद्यक्रम में प्रवेश हेतु निर्धारित स्थानों में बढ़ोतरी हेतु लिए गए निर्णय को विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गई।

VERIFIED

5
०५/८१

कुलसंचय (Registrar)
श्री लल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
की-४, कुरुक्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र, नई दिल्ली-११००१६
New Delhi-110016

संकल्प संख्या ७.१३: शोध छात्रों द्वारा नॉन नेट फैलोशिप के भुगतान हेतु निर्धारित तीन वर्ष की अवधि को बढ़ाकर चार वर्ष करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार-विमर्श कर अनुशंसा करने हेतु गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त विद्या परिषद् की स्वीकृति हेतु सादर प्रस्तुत।

शोध छात्रों को नॉन नेट फैलोशिप का भुगतान जीन वर्ष के स्थान पर चार वर्ष की अवधि निर्धारित करने हेतु गठित समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यवृत्त की विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गई। विद्या परिषद् द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि सम्बन्धित विभाग अपने-अपने विभाग में पंजीकृत छात्रों को उचित निर्देश जारी करें कि वे फैलोशिप भुगतान हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों (निर्धारित अप्रतिष्ठित एवं शोध कार्य प्रगति विवरण) का अनिवार्य रूप से पालन करें।

संकल्प संख्या ७.१४: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र संख्या १-३/२०२१(व्यू.आई.पी.) / पीएच.डी विनियम दिनांक १४.११.२०२२ के अनुसार पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया विनियम, २०२२ को लागू करने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2022 को विश्वविद्यालय में लागू करने हेतु गठित समिति द्वारा श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में निर्धारित विद्यावारिधि उपाधि हेतु दिशा-निर्देश तथा दिनांक 3.4.2017 को आयोजित विद्या परिषद् की बैठक की संकल्प संख्या 7.6 में लिये गये निर्णयों पर गहन विचार-विमर्श करने के उपरान्त ज्ञानसंधित समिति द्वारा विद्यावारिधि प्राप्तकर्ताओं में प्रत्रेश हेतु दिशा-निर्देशों का प्रारूप तैयार किया गया। विद्या परिषद् द्वारा गहन विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से सम्बन्धित समिति द्वारा तैयार विद्यावारिधि दिशा-निर्देशों को विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023-24 से लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

संकल्प संख्या ७.१५: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा (छात्रों की शिक्षायतों का निवारण) विनियम, २०२३ को विश्वविद्यालय में लागू करने के सम्बन्ध में।

विद्या परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा छात्रों जी शिक्षायतों का निवारण विनियम, 2023 को विश्वविद्यालय में लागू करने हेतु लिये गये निर्णयों की स्वीकृति प्रदान की गयी। विद्या परिषद् द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि सम्बन्धित विनियम जी प्रतिलिपि समस्त पीठ प्रमुखों एवं विभागाध्यक्षों को उपलब्ध करायी जाए तथा उनका अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए।

संकल्प संख्या ७.१६: पीठ प्रमुख, साहित्य एवं संस्कृति द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार विश्वविद्यालय में एक नए पीठ सनातन विद्या पीठ की स्थापना करने हेतु विभागीय समिति द्वारा तैयार प्रस्ताव विद्या परिषद् के विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु सादर प्रस्ताव।

संत्यापित
VERIFIED

(८)

८/११८/१

6

श्रृंगमनिधि / Registrar
श्री लला बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्व
वी-४, कुलाबा सांस्कृतिक शैक्षणिक विभाग, नई दिल्ली-१११
B-४, Gurukul Sanskritik Shikshak Bhawan, New Delhi-111

विश्वविद्यालय में समान विद्या पीठ की स्थापना करने हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने के उपरान्त विद्या परिषद् द्वारा महं सुझाव दिया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार भारतीय ज्ञान परम्परा के अध्ययन अध्यापन को गति प्रदान करने हेतु भारतीय निन्तन के अध्ययन को महत्व दिया गया है।

विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णयों तथा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एकट-2020 के अनुसार विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को सज्जान में लेते हुए तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 'में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार भारतीय ज्ञान परम्परा के अध्ययन अध्यापन को गति प्रदान करने हेतु भारतीय निन्तन के अध्ययन को दिये गये महत्व को ध्यान में रखते हुए विद्या परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस पीठ का नाम पुराणविद्या पीठ रखा जाए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नियमों को सज्जान में लेते हुए विद्या ग्रिफेट द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि न्यौ विभागों की स्थापना तथा विषयों को संचालित करने हेतु समिति द्वारा पाठ्यक्रम, रूपरेखा, प्रबेश अर्हता, प्रवेश छंड, निर्धारित स्थान, प्रबेश शुल्क एवं अन्य विवरण तैयार करने हेतु अध्ययन मण्डल की बैठक आयोजित कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट क्षुलपति महोदय को प्रस्तुत की जाए। तदुपरान्त निर्धारित प्रक्रियानुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

संकल्प संख्या ७.१७: केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय २०२० में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा अध्यादेश तैयार करने हेतु गठित समिति द्वारा तैयार अध्यादेश एवं विनियम विद्यापरिषद् की स्वीकृति हेतु सादर प्रस्तुत।

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एकट-2020 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक, परीक्षा एवं प्रशासनिक विषयों से सम्बन्धित अध्यादेश एवं विनियम तैयार करने हेतु गठन समिति द्वारा दिनांक 17.5.2023 एवं 16.6.2023 को आयोजित बैठक (ऑनलाइन/ऑफलाइन) आयोजित की गयी। समिति द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित शैक्षणिक, परीक्षा एवं प्रशासनिक विषयों से सम्बन्धित 24 अध्यादेश एवं 2 विनियम का प्रस्तुत तैयार किया गया। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एकट-2020 दूसरी अनुसूची को परिनियम संख्या 39^१ (१) के अनुपालन में सम्बन्धित अध्यादेश एवं विनियम क्रांति परिषद् की बैठक में प्रस्तुत करने की विद्या परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

संकल्प संख्या ७.१८: विभागाध्यक्ष, व्याकरण, प्राकृत भाषा एवं धर्मशास्त्र विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार सम्बन्धित विभागों के अन्तर्गत नए पाठ्यक्रम संचालित करने से सम्बन्धित प्रस्ताव विद्या परिषद् के अवलोकनार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

- विभागाध्यक्ष, व्याकरण विभाग द्वारा व्याकरण विभाग के अन्तर्गत एकवर्षीय पी.जी. डिप्लोमा-संस्कृत भाषा विज्ञान स्ववित्तपोषित अंशकालोन पाठ्यक्रम के अन्तर्गत संचालित वरने हेतु विद्या परिषद् द्वारा सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति प्रदान की गयी। पाठ्यक्रम को संचालित करने हेतु ग्रन्थ अर्हता, प्रबंश शुल्क, प्रबेश छंडु स्थान तथा पाठ्यक्रम को तैयार करने हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा अध्ययन प्रिवेल



- की बैठक आयोजित कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाए। तदुपरान्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।
2. प्रो. सुदीप बुमार जैन, विभागाध्यक्ष, नाकृत भाषा द्वारा ऐंथित प्रस्ताव में उल्लेख विषयों के संजान में लेते हुए विद्या परिषद् द्वारा यह सुझाओ दिया गया कि उन्न विषयों पर विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित विभागों द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाये।
 3. विभागाध्यक्ष, धर्मशास्त्र विभाग द्वारा धर्मशास्त्र विभाग के अन्तर्गत 1) यी.ए. एल.एल.बी पाठ्यक्रम, 2) प्राचीन विधि शास्त्र अंशकालीन पाठ्यक्रम, 3) मानवाधिकार अंशकालीन पाठ्यक्रम के अन्तर्गत संचालित करने हेतु विद्या परिषद् द्वारा सैमानिक रूप से स्वीकृति प्रदान की गयी। पाठ्यक्रम के संचालित करने हेतु प्रवेश अहता, प्रवेश शुल्क, प्रवेश हेतु स्थान तथा पाठ्यक्रम के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार करने हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा अध्ययन मण्डल की बैठक आयोजित कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाए। तदुपरान्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

संकल्प संख्या ७.१९: पीठ प्रमुख, शिक्षाशास्त्र द्वारा पीठ के अन्तर्गत नए पाठ्यक्रम संचालित करने के सम्बन्ध में प्रेषित प्रस्ताव विद्या परिषद् के अवलोकनार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

पीठ प्रमुख, शिक्षाशास्त्र विभाग द्वारा शिक्षाशास्त्र विभाग के अन्तर्गत 1) समेकित यार दर्शीय I.T.E.P. (Integrated Teacher Education Programme), 2) तीन, वर्षीय समेकित शिक्षाशास्त्री-शिक्षाधार्य (Integrated B.Ed-M.Ed) पाठ्यक्रम के अन्तर्गत संचालित करने हेतु विद्या परिषद् द्वारा सम्बन्धित पीठ प्रमुख के उपस्थित न होने के कारण उक्त विषय पर गहन विचार-विमर्श नहीं हो सका। सर्वसम्पत्ति से इह प्रमुख के उपस्थित न होने के कारण उक्त विषय पर गहन विचार-विमर्श नहीं हो सका। सर्वसम्पत्ति से इह विभाग द्वारा अध्ययन मण्डल की बैठक आयोजित कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाए। तदुपरान्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। अध्यटन मण्डल द्वारा लिये गये निर्णयों का कार्यवृत्त विद्यापरिषद् की आगामी बैठक में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विचारार्थ प्रस्तुत अन्य विषय:

संकल्प संख्या ७.२० (१): योग विभाग द्वारा तैयार योग एवं नैचुरोपैथी स्नातक पाठ्यक्रम विद्यापरिषद् के अवलोकनार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

विभागाध्यक्ष योग विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा स्नातक (B.N.Y.S.) पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु गठित समिति द्वारा सम्बन्धित विषय का पाठ्यक्रम एवं अन्य विवरण तैयार किया गया है। विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्पत्ति से उक्त विषय के पाठ्यक्रम को लागू करने की स्वीकृति मिली।

संस्थानिक मिली
VERIFIED
[Signature]

(Signature)

८
८/१/८०

कुलतानी चौधरी, Registrar
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
वी-१, कृष्ण साम्यानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-११००१६
Institutional Area, New Delhi-110016

को गया। विद्या परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने वाले अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पाठ्यक्रम के अनुसार ही अध्ययन-अध्यापन सुनिश्चित किया जाएगा।

संकल्प संख्या ७.२० (२): परीक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव विद्यापरिषद् छी पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

परीक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर आयोजित सत्रीय एवं पुनः परीक्षाएं आयोजित की गयीं। निर्धारित प्रक्रियानुसार परीक्षा परिणाम घोषित करने हेतु परीक्षा मण्डल द्वारा लिए गए निर्णयानुसार विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित करने की विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गयी।

शोध उपाधि समिति द्वारा संस्तुत (४) शोध छांडों को जारी अस्थायी प्रमाण-पत्र की सूची की विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गयी।

संकल्प संख्या ७.२० (३): आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रोच्छ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव विद्यापरिषद् की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रोच्छ द्वारा **GOOGLE FORM FEEDBACK FORM** निर्मित करायी गई हितधारकों (Stakeholders) से प्राप्त प्रतिपुष्टि फॉर्म (Feedback form) के परिणाम छी विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गयी।

संकल्प संख्या ७.२० (४): केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एकट २०२० में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार अन्य शैक्षणिक संस्थानों को सम्बद्धता प्रदान करने हेतु गठित जाँच समिति, प्रत्यक्ष जाँच समिति तथा सम्बद्धता बोर्ड की बैठक में लिये गये निर्णयों का कार्यवृत्त विद्यापरिषद् के अवलोकनार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

विद्यापरिषद् द्वाय केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एकट 2020 की धारा 30 के अन्तर्गत अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करने हेतु निर्धारित अध्यादेश एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्य शैक्षणिक संस्थानों द्वारा इस प्रतिपुष्टि ग्राहक संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच मण्डल द्वारा निर्धारित अवधारणा द्वारा नियमित रूप से विनियोग की जाती है। इस प्रतिपुष्टि ग्राहक संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा बोर्ड की बैठक में लिये नये निर्णयों को संज्ञन में लेते हुए संबुद्धता से यह निर्णय लिया गया कि महाराजा अग्रसेन नैद्युरोपेशी और योग संस्थान रिसर्च दस्ट, C/o यालाजी नेचर केअर बैलनेस सेन्टर (पूर्व यालाजी निरोगधार), पल्ला रोड, बखाबरपुर, नई दिल्ली-110036 को शैक्षणिक सत्र 2023-24 से एक वर्ष के लिए एकवर्षीय पी.जी. डिप्लोमा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम (Bachelor of Naturopathy and Yogic Sciences (B.N.Y.S.) को संचालित करने के लिए अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की ज्यौकृति प्रदान की गयी। सम्बन्धित विभाग द्वारा इस विषय पर यथाशोध आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

सत्यापित
VERIFIED

(१)

४१८८

lal

कृतसंनिधि / Regd. No.
श्री लल बहादुर शास्त्री योग एवं संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri Naturopathy and Sanskrit University
लल बहादुर शास्त्री योग एवं संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110016
लल बहादुर शास्त्री योग एवं संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

संकल्प संख्या ७.२० (५): विभागाध्यक्ष, सांख्ययोग द्वारा विभाग के अन्तर्गत नये पाठ्यक्रम संचालित करने से सम्बन्धित प्रस्ताव विद्या परिषद् के अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत।

विभागाध्यक्ष, सांख्ययोग द्वारा विभाग के अन्तर्गत नये पाठ्यक्रम संचालित करने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर गठन विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रथम चरण में विभाग को योग तंत्र एवं आगम विषयों को स्नातक स्तर पर संचालित करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। विद्या परिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि पाठ्यक्रम को संचालित करने हेतु प्रबोध अर्हता, प्रबोध शुल्क, प्रबोध हेतु स्थान तथा पाठ्यक्रम को तैयार करने हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा अध्ययन मण्डल की बैठक आयोजित कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाये। तदुपरान्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।

संकल्प संख्या ७.२० (६): विभागाध्यक्ष, ज्योतिष विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार विभाग के अन्तर्गत संहिता ज्योतिष विषय से सम्बन्धित तैयार पाठ्यक्रम विद्या परिषद् के अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत।

विभागाध्यक्ष, ज्योतिष द्वारा विभाग के अन्तर्गत नये पाठ्यक्रम संचालित करने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर गठन विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रथम चरण में विभाग को संहिता ज्योतिष विषय से शास्त्री पाठ्यक्रम संचालित करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। विद्या परिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि पाठ्यक्रम को संचालित करने हेतु प्रबोध अर्हता, प्रबोध शुल्क, प्रबोध हेतु स्थान तथा पाठ्यक्रम को तैयार करने हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा अध्ययन मण्डल की बैठक आयोजित कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाये। तदुपरान्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

अन्त में धन्यवाद के साथ विद्या परिषद् की बैठक राम्पन हुई।

(प्रो. प्रेम कुपार शर्मा)
कुलसचिव (प्रभारी) एवं सचिव

(प्रो. मुरलीमनोड़ शुक्ल)
कुलसचिव एवं अध्यक्ष

संत्यापित
VERIFIED

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
शे-४, कुतुब संस्कृतिक ब्लॉक, नई दिल्ली-११००१६
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016